कम्प्यूटर नं.- 2223043

पत्र संख्या—विधि— अपील /2022—23/ 354 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(विधि अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 24 अगस्त, 2022

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड—2 (अपील)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः जी0एस0टी0 अधिनियम, 2017 की धारा—161 के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध अपील दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।

आप सभी अवगत हैं कि SGST/CGST अधिनियम में किसी अपील योग्य आदेश के विरूद्ध अपील दाखिल किए जाने की व्यवस्था ऑन लाइन उपलब्ध है। संज्ञान में आया है कि अधिनियम की धारा—161 के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध ऑनलाइन अपील उस दशा में दाखिल नहीं हो पा रही है जब धारा—161 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रॉपर ऑफिसर द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है। संज्ञान में यह भी आया है कि व्यवस्था नहीं होने के कारण, अनेक अपीलार्थियों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है। कुछ प्रसंगों में मा0 न्यायालयों द्वारा व्यवस्था बनाये जाने के आदेश भी दिये गये हैं।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि अधिनियम की धारा—161 के अन्तर्गत प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार (rectification request reject) किये जाने की दशा में अपील प्रार्थना पत्र जब तक ऑन लाइन व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है, तब तक मैनुअल स्वीकार किए जायें।

24/8/2022
(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त
राज्य कर, उ0प्र0